कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल
:dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1376/12–1 नई टिहरी, दिनांक– 18/12/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार।

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड–भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के सगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।। (Online No-FP/UK/ROAD/47739/2020)**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक–1616/10एम0जी0, दिनांक–18.11.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्रांक–1244/12–1, दिनांक–28.12.2023 से उक्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां अंकित की गई है। जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त बिन्दुओं के क्रम में प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा अभी भी निम्न कमियों का पूर्ण रूप से निराकरण नही किया गया है। इसके अतिरिक्त भी प्रस्ताव में अन्य कई प्रकार की कमियां प्रदर्शित हो रही है। जिनका पूर्ण रूप से निराकरण किया जाना उचित है।

क्रम सं0	आपत्तियॉ	टिप्पणी
1	उप जिलाधिकारी स्तरीय संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रारूप–6 में उपजिलाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	निराकरण नही किया गया है।
2	प्रारूप–25 राष्टीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्याकंन एवं आई0टी0सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त कर तदानुसार प्रारूप–25 में हवाई दूरी का आकलन चस्पा करें।	निराकरण नही किया गया है।
3	प्रारूप–30, जिलास्तरीय समिति में स्थान तथा दिनांक अंकित नहीं की गयी है।	निराकरण नही किया गया है।
4	प्रारूप–30.1 उपखण्ड स्तरीय समिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी का नाम, पत्रांक, दिनांक एवं समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है।	निराकरण नही किया गया है।
5	क्षतिपूरक नवीनीकरण के जी0आई0एस0 मानचित्र में राजस्व विभाग के हस्ताक्षर अपेक्षित है	निराकरण नही किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव की 05 प्रतियां मूल में संलग्न कर इस आशय से वापस प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से उक्त प्रस्ताव का पुनः पूर्ण परीक्षण कर उक्त कमियों का निराकरण कराने का कष्ट करें तथा बिना निराकरण किए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित न किए जायें।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि आपके खण्ड द्वारा प्रायः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अपूर्ण प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है तथा जिससे वन भूमि हस्तान्तरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में आप द्वारा त्रुटिरहित/पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये, ताकि ससमय प्रस्ताव को उच्च स्तर को भेजा जा सके एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति प्राप्त किए जाने में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी